प्रेस नोट

दिनांक 29.07.2019 थाना सैंया जनपद आगरा।

मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के 05 सक्रीय सदस्य भारी मात्रा में मादक पदार्थ (गांजा) सहित मय वाहनों के गिरफ्तार

जनपद में अवैध शराब की तस्करी व मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम हेतु अपराधियों की धरपकड़ गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बैजनाथ सिंह थाना सैंया एवं एस0टी0एफ0 आगरा यूनिट के निरीक्षक श्री हरीश वर्धन को सयुक्त टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में गठित सयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.07.2019 को सैया क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की पता रसी सुराग रसी एवं चैकिंग अभियान के दौरान तेहरा चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली की मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला गैंग उड़ीसा से गांजा की खेप लेकर ट्रक संख्या एन0एल0 01 एए 5976 द्वारा आगरा की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर गठित संयुक्त टीम द्वारा मुखविर द्वारा बताये गये स्थान कटी पुल पर बैरियर लगाकर चैकिंग प्रारम्भ की गयी। दौराने चैकिंग धौलपुर की तरफ से ट्रक नम्बर NL 01 AA 5976 आता दिखाई दिया, जिसे बैरियर लगाकर रोककर चैक किया गया तो उपरोक्त ट्रक में 151 किलोग्राम मादक पदार्थ (गांजा) बरामद व गिरफ्तार अभियुक्तों से 05 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए।

- **घटना का संक्षिप्त विवरण :–**

गिरफ्तार अभियुक्तों से गठित संयुक्त टीम ने सख्ती पूछताछ की गयी तो बताया कि ये अभियुक्तगण मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं और इनके ट्रक में गाजा हैं। इससे पहले 5 किलोमीटर धौलपुर की तरफ इन लोगों ने अपनी गाड़ी में से 53 किलोग्राम गांजा प्रेम शंकर, देव प्रकाश जो महिंद्रा टीयूवी कार से आ रहे उन्हें दिया है। उनकी गाड़ी का नंबर यूपी 81 बीएम 9334 है तथा वह गाड़ी भी इसी रास्ते से आने वाली है। गठित संयुक्त टीम द्वारा तत्काल बैरियर लगाकर चेकिंग प्रारंभ की गई तो उक्त टीयूवी आती हुई दिखाई दी जिसे कटी पुल के पास रोक लिया गया, इसमें दो व्यक्ति सवार थे जिसमें से एक का नाम प्रेमशंकर तोमर पुत्र हरिओम निवासी रनिहाल थाना गोंडा जनपद अलीगढ़ तथा दूसरे ने अपना नाम देव प्रकाश तोमर पुत्र दुर्गा निवासी रनिहार थाना गोंडा जनपद अलीगढ़ बताया। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 53 किलोग्राम मादक पदार्थ (गांजा) बरामद हुआ। समस्त गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 02 कुण्टल 400 ग्राम मादक पदार्थ (गांजा) एवं ट्रक व टीयूवी कार बरामद हुई।

- **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–**

01. वाहन स्वामी महिन्द्रा टीयूवी, प्रेमशंकर तोमर पुत्र हरि ओम निवासी रनिहाल थाना गोंडा जनपद अलीगढ़।
02. केशव पुत्र रामकिशन निवासी मकान न0–618 सैक्टर 56 थाना सैक्टर 58 बल्लभगढ़ जनपद फरीदाबाद हरियाणा।
03. दीपक पुत्र राजपाल सिंह तोमर निवासी ग्राम सिसौली थाना मुन्डाली जनपद मेरठ।
04. विपिन कुमार पुत्र हरिदास निवास विधमपुर थाना सासनी जनपद हाथरस।
05. देव प्रकाश पुत्र दुर्गा निवासी रनिहाल थाना गोण्डा जनपद अलीगढ़।

- **गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास :–**

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद
01.	160/2019	धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट	सैंया / आगरा

- **बरामदगी का विवरण :–**

01. कुल 204 किलोग्राम मादक पदार्थ (गांजा)
02. 06 अदद मोबाइल फोन।
03. रू0 1,750/–नकद।
04. 10 चक्का ट्रक अशोका लीलैण्ड रजि0न0– NL 01 AA 5976 ।
05. एक महिन्द्रा टीयूवी कार रजि0न0– यू0पी0 81 बीएम 9334।

- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :–**

थाना सैंया पुलिस टीम	एस0टी0एफ0 आगरा यूनिट टीम
01. प्रभारी निरीक्षक वैजनाथ सिंह। 02. है0कां0 अरविन्द। 03. है0कां0 रामवीर सिंह। 04. सौकत अली।	01. प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन। 02. उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह। 03. उ0नि0 मुनेश कुमार। 04. कां0 अभिनय कां0 बल्देव, कां0 बृजराज, कां0 अनवर, कां0 सुशील, कां0 लवप्रकाश, कां0 रविन्द्र।

प्रेम शंकर सिंह उर्फ एस0के0

दीपक कुमार तोमर

देव प्रकाश तोमर

केशव बैरागी

विपिन शर्मा

Vivo V15Pro
AI Triple Camera

कार्यालय
WEL COME
Vivo V15Pro
AI Triple Camera

मीडिया सेल आगरा पुलिस।